न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

करण सं. 1/14/अपील
जुगल किशोर बड़केशिया उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व. श्री ईश्वरराम जाति जाट निवासी खदया की ढाणी तन दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

ब ना म

1. ग्राम पंचायत, दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, दांतारामगढ जिलासीकर

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 642 दिनांक 05.12.2011
ग्राम पंचाचत, दांतारामगढ जिला सीकर

पस्थिति—
1. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक—11.09.2015

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां खसरा नं. 158 रकबा 1.73 है0, 160 रकबा 0.20 है0, 161 रकबा 1.92 है0, 285 रकबा 1.58 है0, 289 रकबा 0.10 है0, 289/733 रकबा 0.01 है0, 290 रकबा 0.15 है0, 292 रकबा 0.10 है0, 292/732 रकबा 0.04 है0, 296 रकबा 0.26 है0, 306 रकबा 0.03 है0, 308/1 रकबा 0.50 है0 किता 12 कुल रकबा 6.63 है0 तन ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो कि अपीलांट की पैत्रिक कृषि भूमियां है जिनकी पूर्व में खातेदारी अपीलांट के पिताजी ईशरा पुत्र श्योबक्सा के नाम दर्ज थी। अपीलांट के पिताजी की मृत्यु के पश्चात् विरासत का ना. करण सं. 642 भरा गया। ग्राम पंचायत द्वारा की गई ना.करण कार्यवाही के दौरान अपीलांट गैर मौजूद था। अपीलांट के घर वाले प्यार से "जगदीश" नाम से भी पहचानते पुकारते थे। उक्त विरासत के ना.करण सं. 642 दिनांक 05.12.2011 द्वारा ग्राम पंचायत, दांतारामगढ के माध्यम से ना.करण तस्दीक करने के दौरान अपीलार्थी के वास्तविक एवं व्यावहारिक नाम "जुगल किशोर बड़केस्या" के स्थान पर जगदीश दर्ज कर दिया। अपीलांर्थी के पिताजी को भी ईशरा व ईश्वरराम नाम से जाना जाता था। उक्त ना0करण में गलत नाम दर्ज करने से पूर्व अपीलार्थी को ना ही मृतक ईशरा उर्फ ईश्वरराम की वंशावली से अवगत करवाया और ना ही ना.करण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त ना.करण अपीलार्थी के हितों तक नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण पुनः प्रेषित करने योग्य है। अपीलार्थी के शैक्षणिक दस्तावेज, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड व

ण्ड अधिकारी, दातारामगढ

अन्य सभी आवश्यक कागजातों में अपीलार्थी स्वयं व पिताजी का नाम जुगलकिशोर बड़केशिया पुत्र ईशवरराम सही दर्ज है परन्तु अपीलार्थी की पैत्रिक भूमियां वर्णित पैरा सं. 1 में गलत नाम व वल्दीयत जगदीश पुत्र ईशरा दर्ज है जो न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित है। अपीलांट की अपील स्वीकार होने पर सह हिस्सेदारों के हित किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होने के कारण सह हिस्सेदारों को पक्षकारा नहीं बनाया गया है। अपीलांट ट्रक ड्राईवर का कार्य करता है। अपीलांट को उक्त गलत ना.करण की जानकारी दिनांक 25.9.2013 को उसके भाई द्वारा बताने पर हुई। तब दिनांक 26.9.2013 को ना.करण की नकल प्राप्त होते ही अपीलार्थी गंभीर ज्वर रोग से पीड़ित हो गया। अब स्वस्थ होते ही अपील पेश है। मियाद के बिन्दु पर दफा 5 अवधि अधिनियम का आवेदन अलग से पेश कर अपील प्रस्तुती में हुई देरी का समय न्यायालय द्वारा माफ किया जाना उचित व न्यायसंगत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार करके कानूनी प्रावधानों व विधि की मंशा के अनुसार पुनः उचित आदेश प्रदान करके अपीलाधीन ना.करण सं. 642 द्वारा ग्राम पंचायत, दांतारामगढ में अपीलांट का नाम जगदीश पुत्र ईशरा के स्थान पर जुगल किशोर बड़केशिया पुत्र ईश्वर राम दर्ज करने का आदेश करने की कृपा करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस वकील अपीलांट की एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमियों पैत्रिक है जिनकी खातेदारी पूर्व में अपीलांट के पिताजी ईशरा पुत्र श्योबक्सा के नाम दर्ज थी। अपीलांट को घर वाले प्यार से जगदीश नाम से भी पहचानते पुकारते थे जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम जुगलकिशोर बड़केशिया एवं पिताजी का नाम ईश्वरराम है। अपीलांट ड्राईवर का कार्य करने से उक्त गलत ना.करण की जानकारी दिनांक 25.92013 को उसके भाई द्वारा बताने पर हुई। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में दस्तावेजात यथा मूल निवास प्रमाण, ड्राइवर लाईसेंस, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक एवं आधार कार्ड पेश किये गये है तथा ग्राम पंचायत, दांतारामगढ का प्रमाण पत्र पेश किये है उक्त दस्तावेजात में अपीलांट का नाम जुगल किशोर बड़केशिया एवं पिता का नाम ईश्वर राम अंकित है। उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार करके विवादित ना. करण सं. 642 दिनांक 05.12.2011 द्वारा ग्राम पंचायत, दांतारामगढ जिला सीकर में अपीलांट का नाम जगदीश पुत्र ईशरा के स्थान पर जुगल किशोर बड़केशिया पुत्र ईश्वर राम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

4. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 642 दिनांक 05.12.2011 द्वारा ग्राम पंचायत,

अपीलार्थी, दांतारामगढ

दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील विलम्ब के समय को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट का नाम जुगल किशोर बड़कोशिया एवं पिता का नाम ईश्वर राम है चूंकि अपीलांट के अन्य भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उनके द्वारा कोई आपत्ति भी अपने विरासत के ना.करण में दर्ज नहीं करवायी है इसलिए पिता का नाम उनको जानकारी में आने के पश्चात् ही दुरूस्ती योग्य है। उपरोक्त विवरण से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 642 दिनांक 06.12.2011 द्वारा ग्राम पंचायत, दांतारामगढ जिला सीकर में अपीलांट के नाम को संशोधन तक ना.करण संशोधन हेतु प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार, दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलांट के नाम संशोधन के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करें। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 14.09.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ